उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
U. P. Power Transmission Corporation Ltd.
(Formerly known as 'Uttar Pradesh Vidyut Vyapar Nigam Limited')

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकम)
'शक्ति भवन', 14–अशोक मार्ग
लखनऊ

संख्या:594/सीएस–ट्रान्सको/बैठक/2009 दिनाँक: 10 जुलाई, 2009

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 लखनऊ के कार्य–कलापों को सुचारू एवं प्रभावी रूप से संचालित एवं निष्पादित करने के उद्देश्य से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को कतिपय अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रतिनिधायन विषयक पूर्व निर्गत आदेश को अवक्रमित करते हुए प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को एतदद्वारा निम्नलिखित अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों का प्रतिनिधायन किया जाता है:–

1. कम्पनी एक्ट की धारा 293(1)(डी) एवं धारा 292 मे निहित प्राविधानों के अनुसार निदेशक मण्डल के अनुमोदन के प्रतिबन्धाधीन प्रबन्ध निदेशक को, वित्त शाखा के शीर्षतम अधिकारी के सहयोग से कारपारेशन के व्यवसाय को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु प्रतिभूति अथवा बिना प्रतिभूति के ऋण प्राप्त करने हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ अधिकृत किया जाता है कि निदेशक मण्डल समय–समय पर ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित करेंगे।
2. प्रबन्ध निदेशक को ऐसे आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय का वित्तीय अनुमोदन देने हेतु अधिकृत किया जाता है जिनके लिये अब तक अध्यक्ष अधिकृत थे तथा प्रबन्ध निदेशक जिन मामलों मे उचित समझेगें उनमें वे अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
3. कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु प्रबन्ध निदेशक को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो अध्यक्ष को प्राप्त थे तथा प्रबन्ध निदेशक अभियन्त्रण सेवा मे अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्च पद के अधिकारी तथा अन्य संवर्गो मे उक्त पदों के समकक्ष अधिकारियों को छोडकर अन्य सभी संवर्गो के कर्मचारियों एवं अधिकारियों, जिनके नियुक्ति अधिकारी वर्तमान मे अध्यक्ष हैं, के नियुक्ति अधिकारी माने जायेंगे। अध्यक्ष, अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्च पद के अधिकारी एवं अन्य संवर्गो मे उक्त पदों के समकक्ष अधिकारियों के नियुक्ति अधिकारी यथावत् रहेंगं। उक्त के परिप्रेक्ष्य मे संगत सेवा नियम एवं विनियमावली उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।
4. किसी भी विधिक मामले के संबध मे न्यायिक कार्यवाही हेतु वाद निवेशित करने, अभियोजन चलाने, पक्ष प्रस्तुत करने, प्रतिवाद करने, उपस्थित होने, अपील करने, समझौता करने, आरबीट्रेशन हेतु संदर्भित करने अथवा समाप्त करने हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया जाता है।
5. प्रबन्ध निदेशक, कर्मचारी/कर्मचारी संघों के मामलों की सुनवाई करने एवं निस्तारित करने हेतु अधिकृत होंगे।
6. सभी समितियों (केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति को छोड़कर) जिसमें कि वर्तमान में अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, अध्यक्ष के रूप मे नामित थे, के स्थान पर प्रबन्ध निदेशक उन सभी समितियों के सदस्य एवं अध्यक्ष होंगे।

7. सभी अग्रिमों, अवकाशों, यात्राओं, चिकित्सा–दावों इत्यादि की स्वीकृति हेतु अध्यक्ष के स्थान पर प्रबन्ध निदेशक अधिकृत होंगे।

8. प्रबन्ध निदेशक को उपरोक्तानुसार अधिकृत किये जाने के बावजूद भी कम्पनी एक्ट एवं विद्युत अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों/विनियमावलियों मे दिये गये सांविधिक (Statutory) प्रविधानों के अनुसार अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में ही नीतिगत विषयों, केन्द्र/राज्य सरकारों संबंधी, जनहितों से संबंधित मूलभूत मामलों एवं वित्तीय मामलों एवं कारपोरेशन के कार्यकलापों से संबंधित दिशा–निर्देश देने का अधिकार निहित रहेगा तथा ऐसे सभी निर्देशों को प्रबन्ध निदेशक द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित कराना होगा।

अध्यक्ष

संख्या–594(I)/सीएस–ट्रान्सको/बैठक/2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव(ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य महाप्रबन्धक सम्बद्ध अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
4. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्चल/पूर्वान्चल/दक्षिणान्चल/मध्यान्चल वि0वि0नि0लि0 एवं केस्को लि0, मेरठ/वाराणसी/आगरा/लखनऊ/कानपुर।
7. अपर सचिव (का0प्र0–प्रथम/द्वितीय/अराज0/काविनी), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (औद्योगिक संबध), उ0प्र0पा0का0लि0 को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कार्यालय–ज्ञाप के प्रस्तर–3 में की गई व्यवस्थानुसार संगत सेवा नियम एवं विनियमावली मे यथावश्यक संशोधन करने का कष्ट करें।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. उप महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. वरिष्ठ उप महालेखाकार (ई0), महालेखाकार (आडिट) द्वितीय कार्यालय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. समस्त उप महाप्रबन्धक/उपसचिव/अनुसचिव उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
16. समस्त अनुभाग/कोष्ठक/शिविर, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एच0के0 अग्रवाल)
कम्पनी सचिव